



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 24.10.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को चोरी किये गये ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया एश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 240/2024 धारा 303(2) BNS में प्रकाश में आये अभियुक्त अतुल उर्फ राजा पुत्र विश्राम सिंह निवासी ग्राम आवाजपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को चोरी किये गये ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

01.अतुल उर्फ राजा पुत्र विश्राम सिंह निवासी ग्राम आवाजपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 19.10.2024 को थाना मऊदरवाजा पर श्री गौतम पुत्र राजबहादुर निवासी आकलगंज थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 18.10.2024 की रात्रि को उनका ट्रैक्टर पावर ट्रेक यूरो 42 किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 240/2024 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियोग से सम्बन्धित चोरी किया गया ट्रैक्टर की पतारसी सुरागरसी के क्रम में दिनांक 23.10.2024 की रात्रि मुखबिर की सूचना पर नबाबगंज रोड़ के पास आकलगंज तिराहे से अतुल उर्फ राजा पुत्र विश्राम सिंह निवासी ग्राम आवाजपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को चोरी किये गये ट्रैक्टर पावर ट्रेक यूरो 42 के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त अतुल उपरोक्त ने पूछने पर अपनी गलती की माफी मांगते हुये अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अतुल उर्फ राजा उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 245/22 धारा 392/411/413 IPC थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 22/23 धारा294/354/504/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 94/2023 धारा 41/411 IPC थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 240/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद ट्रैक्टर पावर ट्रेक यूरो 42 जिसका चैसिस नं0 TO53715497FN व इंजन नं0 E38206771

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री इमरान फरीद
3. आ0 रवि कुमार
4. आ0 यशवन्ता

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 24.10.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण को अवैध आतिशबाजी से भरे 09 अदद कार्टन के साथ किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध आतिशबाजी संचालकों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला कबीर नगर में अनुज यादव के मकान से दो अभियुक्तगण 1. अनुज यादव पुत्र चरन सिंह यादव निवासी कबीर नगर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 2. नीशू गुप्ता उर्फ कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी राजीव नगर (सर्राफा मार्केट) कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को अवैध आतिशबाजी भरे 09 अदद कार्टन के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अनुज यादव पुत्र चरन सिंह यादव निवासी कबीर नगर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. नीशू गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी राजीव नगर (सर्राफा मार्केट) कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण-

दिनांक 23.10.24 को प्राप्त सूचना पर मोहल्ला कबीर नगर में अनुज यादव के मकान से अभि०गण 1. अनुज यादव पुत्र चरन सिंह यादव निवासी कबीर नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद 2. नीशू गुप्ता उर्फ कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी राजीव नगर (सर्राफा मार्केट) थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद को अवैध आतिशबाजी भरे 09 अदद कार्टन के साथ दिनांक गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु०अ०सं० 225/24 धारा 5/9 ख(क), 9(ख)(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

अवैध आतिशबाजी से भरे 09 कार्टन।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब दीपावली का त्यौहार नजदीक था इसलिये हम लोग पटाखा खरीद कर भण्डारण कर रहे थे और दीपावली के समय बेंचकर मुनाफा कमाते। शेष सफाई हम अपने वकील के माध्यम से मा० न्यायालय में देंगे।

अभियुक्त अनुज यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु०अ०सं० 225/24 धारा 5/9 ख(क), 9(ख)(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त नीशू गुप्ता उर्फ कुलदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु०अ०सं० 225/24 धारा 5/9 ख(क), 9(ख)(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. नि०अपराध श्री लक्ष्मीनारायण ,
2. उ०नि० उदयपाल सिंह
3. का० भूपेन्द्र
4. का० अंशुमन चाहर

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़
दिनांक :-24.10.2024

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी/पटाखा बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.10.2024 को ग्राम बिजाधरपुर से अभियुक्त ओमकार पुत्र मटरूलाल निवासी बिजाधरपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को अवैध रूप से भण्डारित आतिशबाजी/पटाखों सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0 333/2024 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- ओमकार पुत्र मटरूलाल निवासी बिजाधरपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस अवैध पटाखा/आतिशबाजी की बिक्री व निर्माण की रोकथाम हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखविर सूचना मिली कि ग्राम बिजाधरपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में अवैध आतिशबाजी का भण्डारण किया गया है और उसके पास लाइसेन्स नहीं है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार मय हमराह फोर्स के ग्राम बिजाधरपुर में दविश दी गयी। ग्राम बिजाधरपुर से अभियुक्त ओमकार पुत्र मटरूलाल के मकान से अवैध आतिशबाजी 4000 देहमार पटाखा (पटक बम), 150 आनार गोले, 600 धरधरी, 240 स्काई शॉट पटाखे, 10 पैकेट पाँप बम पटाखा, 5 पैकेट क्लासिक बम, 120 सुतली बम, 8 पैकेट मुर्गी छाप, 120 चरखी, 12 स्काई राकेट, 6 पैकेट छोटी धुरधुरी, 3 बड़ा पैकेट एटम बम, 15 बड़े पैकेट बीडी पटाखा, 1 बड़ा कार्टून मिक्स पटाखे बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0 333/2024 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपनी गलती की माफी मांगते हुये सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय मे देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 4000 देहमार पटाखा (पटक बम)
2. 150 अनार गोले
3. 600 धरधरी
4. 240 स्काई शॉट पटाखे
5. 10 पैकेट पाँप बम पटाखा
6. 5 पैकेट क्लासिक बम
7. 120 सुतली बम, 3 बड़ा पैकेट सुतली बम
8. 8 पैकेट मुर्गी छाप
9. 120 चरखी
10. 12 स्काई राँकेट
11. 6 पैकेट छोटी धुरधुरी
12. 15 बड़े पैकेट बीडी पटाखा, 1 बड़ा कार्टून मिक्स पटाखे।

अभियुक्त ओमकार का आपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0सं0 333/2024 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 प्रशान्त कुमार
2. हे0का0 प्रमोद कुमार
3. का0 छोटेलाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।